

मु० न०:- 151/2021

तारीखरजू:- 27/12/2021

उनवान:- राजेन्द्र प्रसाद बनाम ओमप्रकाश

दावा वावत इस्तकरारहक <sup>तकसमा</sup> स्थायी निषेधाज्ञा फर्द अहकाम

दिनांक	फर्द अहकाम
--------	------------

27 <sup>12</sup>/<sub>21</sub>

वादी की ओर से श्री मदनमोहन शर्मा एडवोकेट ने दावा इस्तकरारहक <sup>तकसमा</sup> स्थायी निषेधाज्ञा आर.टी.एक्ट के तहत प्रस्तुत किया गया, अवलोकन किया गया। दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तहसील क्षेत्र टोडाभीम को जरिए तहसीलदार एवं तहसील क्षेत्र टोडाभीम के सम्मन जरिए रजिस्टर्ड डाक द्वारा नोटिस तलब कर पत्रावली दिनांक 31.01.2022 को पेश हो।

6218-42  
27/12/21

र

(दुर्गा प्रसाद मीना)  
उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर  
टोडाभीम जिला करौली

31-1-22  
वादी वकील उपस्थित / प्रतिवादी नं० 1, 2, 3, 5, 6  
की ओर से श्री राजकुमार सिंह एडवोकेट ने  
वकालतनामा पेश किया एवं प्रतिवादी नं० 17, 19,  
20, 21, की ओर से श्री सुरेश चंड शर्मा एडवोकेट  
ने वकालतनामा एवं गौरेण्ड फुल रामचन्द्रप की  
ओर से प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 जाबल  
डिवानी पेश किया एवं प्रतिवादी नं० 22 की  
ओर से श्री रामश्रीवाणी कुहरा एडवोकेट ने भी  
पेश कर आशामी तारीख पेशी या वकालतनामा  
पेश करने का निवेदन किया है। शेष प्रतिवादी नं०  
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, की तामील परिवार जका  
से होने की रिपोर्ट प्राप्त हुई है। एवं प्रतिवादी नं०  
4, 15, 16, तामील नोटिस लौकर नहीं आई है  
प्रतिवादी नं० 23, 24, 25, की स्वयं की तामील डेक  
नोटिस प्राप्त हुई है। पोसाध्व कोफिड 19 गाइड लाइन  
के मुताबिक काबूल व्यवस्था में व्यवस्था है। वाले  
तामील आदेश दिनांक 2-3-22 को पेश हो।



# पालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम

## फर्द अहकाम

12/24 पत्रावली पेश हुई। वकील उग्रपक्षकारान उपर।  
पत्रावली वास्ते तलबी एवं जबाब पेश इस्ते दिनांक  
21.2.24 को पेश हो।



21/24 पत्रावली पेश हुई। वकील उग्रपक्षकारान उपर।  
पत्रावली वास्ते तलबी एवं जबाब पेश करने दिनांक  
23.2.24 को पेश हो।




13/24 पत्रावली पेश हुई। वकील उग्रपक्षकारान  
उपस्थित। - गलानुसार दिनांक 15.3.24 को  
पेश हो।



15/24 पत्रावली पेश हुई। वकील उग्रपक्षकारान उपस्थित।  
पत्रावली वास्ते तलबी एवं जबाब दिनांक 22/4/24  
को पेश हो।



22.4-24 वादी वकील/वकील उग्रपक्ष उपस्थित  
पीठारीय अधिकारी   
पत्रावली गलानुसार दिनांक 1.3.25-24  
को पेश हो।



13/24 पत्रावली पेश हुई। वादी वकील एवं वादी  
कोई उपस्थित नहीं हुआ। बार-2 आवाज  
दियाई गई। कोई उपस्थित नहीं हुआ। वादी  
का दावा तक्रार स्पष्ट निषेधात्मक अर्थ  
हाजिरी एवं अदालत चैरवी में स्वारिज किया  
जाल है। पत्रावली केवल शुक्रवार को  
पेश हो।